<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक- 22.06.2022

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन को कब्जा कर व्यवसायिक रुप में प्रयोग कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गिरोह सरगना सहित गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग पांच करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-

थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंगसरगना मो0 रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों मो0 आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए धोखा-धड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर उस जमीन पर फ्लोर मिल के कार्यालय का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग कर धनोपार्जन किया जा रहा था। उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-

गैंगलीडर मो0 रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी -

<u>कुर्क सम्पत्ति का विवरण-</u> (कीमत लगभग पांच करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार रुपये)
1. ग्राम पल्हरी थाना सफदरगंज स्थित भूमि कीमत लगभग 5,55,84,769.53/- रुपये

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 332/2021 धारा 419/420/467/468/471/504/506/34 भादवि0 व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 201/2021 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 777/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 778/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।